तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख ... जो मिसल हुक्म की तामील में जारी हुए
8.13/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ------------ को ------------ इशापात्र पेश हो।	
13/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प तोरण में पेश हुई। वकील वादनी मजमें आम में उपस्थित। वकील वादनी को मजमें आम में सुना गया। वकील वादनी ने कथन किये कि प्रतिवादीगण वादनी के भाई है। विवादित आराजी वाके ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद स्थित भूमि ख0नं0 275 रकबा 1.02 भूमि वादनी की माता रामप्रसादी बाई को आवंटित हुई थी। राम प्रसादी बाई को उसका पति छोड कर अन्यत्र चला गया। वादनी की माता की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने अपनें आपको रामप्रसादी का वारिस बताकर इंतकाल अपनें नाम खुलावा लिया तथा वादनी को नाम भूमि में दर्ज नहीं करवाया। जबकि वादनी भी प्रतिवादीगण के बराबर विवादित आराजी में हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारी है। वर्तमान में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातें में दर्ज चली आ रही है। अतः वादनी को विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वकील वादनी द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। प्रतिवादी नं0 1 व 2 विवादित भूमि के अभिलिखित सहखातेदार है। किन्तु विवादित आराजी वादनी एवं प्रतिवादीगण की माता रामप्रसादी बाई की आवंटन शुदा आराजी है। जिस पर वादनी एवं प्रतिवादीगण दोनों का बराबर-बराबर हिस्सा कानूनन बनता है। प्रतिवादीगण ने अपनी बहिन वादनी का नाम माता रामप्रसादी बाई की मृत्यु	तहसीलदार (अधिवक्ता)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

के उपरान्त दर्ज नहीं करवाया, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तत कर वाद वादनी खारिज किये जानें के कथन किये है। किन्तु प्रकरण में यह तथ्य तय है कि विवादित आराजी रामप्रसादी बाई की आवंटन शुदा आराजी है। जिस पर उसके वारिसान का बराबर–बराबर हिस्सा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करनें के उपरान्त वादनी विवादित आराजी में खातेदार घोषित होने की अधिकारी है।

लिहाजा काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है, वाद वादनी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद स्थित भूमि ख0नं0 275 रकबा 1.02 भूमि में वादनी को प्रतिवादी नं0 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कॉर्ट ......तोरण......)

पीठासीन अधिकारी : तारामती वैष्णव RAS..

उनवान

......निर्मला...... बनाम ......पुखराज वगै०......

दावा बाबत् ......88-89-188 RTA......

मुकदमा नम्बरः– ......36/13......

निर्णय दिनांकः–..13/06/13.....

वादी की ओर से ....की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को ....(नाम पीठासीन अधिकारी) .... के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होनें पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि– काउण्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किया जाता है वाद वादनी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मोहदी तहसील दीगोद स्थित ख0नं. 275 रकबा 1.02 हे. भूमि में वादनी को प्रतिवादी नं. 1,2 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .13/6/13.......को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(तारामती वैष्णव RAS)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत् इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत् इजराय हुक्मनामा	0	0
मृत.	0	0	मृत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Scanned by CamScanner